

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- गा.स. गुडामालानी, गुडामालानी

राजीनामा प्रपत्र

सेवा में, श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, GAO गुडामालानी दिनांक 24.11.2021

कानाराम बनाम महादेव
प्रकरण संख्या :- 81/20 अन्तर्गत धारा 251A RTI

महोदय, उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/अर्द्धी श्री कानाराम बल्द पाताराम जोगी - कर्षी का निवेदन है, कि उक्त अन्याय का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच मुकदमा हुआ है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

मैं इसका मुकदमा प्रकरण को न्यायालय में
नहीं लड़ता हूँ और इस प्रकरण को न्यायालय
से हटाकर न्याय करवाऊँगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तत्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

- वादी पक्ष 1. कानाराम
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____

- प्रतिवादी पक्ष 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर केशी देवी
(वादी पक्ष) नाम सरपंच

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर _____
(प्रतिवादी पक्ष) नाम _____

प्रार्थी/वादी पं.स. गुडामालानी (वाडवेर) एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी _____ द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्तस्वच्छाहिस पक्षकार तत्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल निसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

कानाराम महादेव सोवताराम मूपास

(प्रमोद कुमार)
पक्षकार, गुडामालानी
पीठासीन अधिकारी
पंचायत समिति गुडामालानी/आं